न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निर्देश संख्या–48 / 2009–10 अन्तर्गत धारा–218 भू0रा0अधि0

1– निगरानी संख्या–39 एवं 40 वर्ष 1985–86 मु0फातमा आदि बनाम अब्बास आदि।

1– फातमा पत्नी मौहम्मद हसन, 2. महफूज पुत्र मौहम्मद आरिफ, निवासीगण सफरपुर, परगना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार।

बनाम

1– अब्बास पुत्र अहसान उलहक, 2. अकरम पुत्र नाजीर, 3. अफजल पुत्र असगर अली, निवासी सफरपुर, परगना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार, 4. गांव सभा, सफरपुर।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

निर्णय

यह संदर्भ अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत निगरानियां संख्या–39 एवं 40 वर्ष 1985–86 मु0 फातमा आदि बनाम अब्बास आदि अन्तर्गत धारा–218 भू0रा0अधि0 जिसमें परगनाधिकारी, रूड़की द्वारा अपील संख्या–57 एवं 58 वर्ष 1984 फातमा आदि अब्बास में पारित आदेश दिनांक 27–11–1984 को चुनौती दी गई है में उनके निर्णयादेश दिनांक 16–10–1987 के माध्यम किया गया है।

इस संदर्भ का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

भूमिधर मौहम्मद हाशिम पुत्र अब्दुल रहीम की मृत्यु के उपरान्त उसके नाम दर्ज भूमि खसरा नं0–76 / 0–0–12, 209मि0 / 0–1–16, 346मि0 / 10–14–18 एवं 433 / 12–19–14 क्रय भूमि 23–16–10 तथा खसरा नं0–259मि0 से 0–10–10 पुख्ता स्थित ग्राम सफरपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की तत्कालीन जनपद सहारनपुर वर्तमान जनपद हरिद्वार के वसीयत के आधार पर दो नामान्तरण सूचनाएं मौहब्बत अब्बास पुत्र अहसान उलहक व मौहम्मद अफजल पुत्र असगर अली अकरम पुत्र नाजिर हसन एवं श्रीमती फातमा पत्नी मौहम्मद हाशिम, निवासीगण ग्राम की ओर से तहसीलदार रूड़की के समक्ष प्रस्तुत हुई। उक्त नामान्तरण सूचनाओं पर जांचोपरान्त एवं सुनवाई कर विद्वान तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 23–07–1983 से आवेदकों के पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया गया। आदेश दिनांक 23–07–1983 के विरूद्ध फातमा बेवा मौहम्मद हाशिम एवं महफूज पुत्र मौहम्मद आरिफ ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह मृतक की बेवा है तथा फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, कि मृतक के जायज वारिस प्रार्थीगण हैं एवं कि मौ0 हाशिम ने अपने जीवनकाल में एक

वसीयत रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 30–06–1981 को उनके पक्ष में की गई है। अतः नामान्तरण वाद मूल नं0 पर स्थापित कर उनको आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया जाय। इस पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को विद्वान तहसीलदार, रूड़की ने यह कहते हुए कि जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर दाखिल खारिज आदेश दिनांक 23–07–1983 पारित किया गया है उसमें फातमा स्वयं भी प्रार्थिनी है अतः यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक प्रार्थी को अलग–अलग सूचना भेजी जाय, आदेश दिनांक 12–01–1984 से निरस्त कर दिया। आदेश दिनांक 12–01–1984 के विरूद्ध परगनाधिकारी, रूड़की के समक्ष अपील संख्या–57 एवं 58 वर्ष 1984 प्रस्तुत की गई जिसे परगनाधिकारी, रूड़की ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27–11–1984 से इसलिए निरस्त किया कि धारा–201 भू0रा0अधि0 के विरूद्ध केवल निगरानी की जा सकती है अपील नही। आदेश दिनांक 27–11–1984 के विरूद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ के समक्ष निगरानी संख्या–39 एवं 40 वर्ष 1985 प्रस्तुत की गई जिन्हें विद्वान अपर आयुक्त ने तत्कालीन विधि व्यवस्था के अनुरूप अपने निर्णयादेश दिनांक 16–10–1987 से राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को निम्न संदर्भ कियाः–

" माननीय राजस्व परिषद से दोनों निगरानियां स्वीकार किये जाने, तहसीलदार रूड़की के आदेश दिनांक 23–07–83, 24–01–84 तथा परगनाधिकारी, रूड़के आदेश दिनांक 27–11–84 को निरस्त कर वाद पृनः गुणदोष के आधार पर निर्णीत करने हेतु तहसीलदार न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

असन्तुष्ट पक्ष अपनी आपत्ति यदि कोई हो तो 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।"

उत्तराखण्ड राज्य स्थापित होने के उपरान्त प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया।

इस संदर्भ में विगत 22–23 तिथियों से कोई भी पक्षकार अथवा उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नही हो रहे है अतः पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस संदर्भ का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।

इस प्रकरण में यह विचारणीय बिन्दु है नामान्तरण प्रार्थीगण के तौर पर तीन व्यक्तियों के नाम अंकित है लेकिन नामान्तरण प्रार्थना पर मात्र एक नामान्तरण प्रार्थी अकरम के हस्ताक्षर है जिससे यह तो स्पष्ट होता ही है कि मृतक मौहम्मद हाशिम की बेवा फातमा को इस नामान्तरण की जानकारी नही रही है। दूसरा पहलू यह कि दिनांक 11–06–1983 को खातेदार की मृत्यु के मात्र तीन दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 14–06–1983 को वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना असम्भव तो नहीं आश्चर्यजनक अवश्य है। ऐसी स्थिति में मृतक की बेवा द्वारा प्रस्तुत धारा–201 भू0रा0अधि0 के प्रार्थना पत्र को विद्वान तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत कर देना एवं यह मान लेना कि नामान्तरण प्रार्थना पत्र में

उसका नाम है एवं उसे नामान्तरण कार्यवाही की जानकारी थी न्यायोचित नही है क्योंकि नामान्तरण प्रार्थना पत्र में श्रीमती फातमा के हस्ताक्षर नही हैं। परिवार के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु पर उससे जुड़ी रस्में सम्पन्न की जानी होती है जिनकी एक अवधि होती है। विशेष रूप से मृतक की पत्नी के लिए इस क्रम में एक निश्चित अवधि तक घर से बाहर निकल पाना सम्भव नही होता है ऐसे में निगरानीकत्री के नामान्तरण सूचना में नाम अंकित होने मात्र से विद्वान तहसीलदार द्वारा यह मान लिया जाना कि उसे नामान्तरण कार्यवाही की जानकारी थी विपर्यस्त (perverse) है। इसके अतिरिक्त उसे उद्घोषणा की प्रति उपलब्ध कराया जाना भी सिद्ध नही है।

विद्वान परगनाधिकारी द्वारा भी उनके समक्ष धारा–210 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलों को भी यह कहकर अस्वीकार करना कि धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध केवल निगरानी ही प्रस्तुत की जाती है विधिसम्मत नही है क्योंकि धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश की उत्पत्ति धारा–34/35 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत पारित आदेश से ही है अतः न केवल आदेश अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 आक्षेपित है अपितु मूल नामान्तरण आदेश भी आक्षेपित मानन जायेगा। अतः ऐसी दशा में यह कहना कि अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है विधिक दृष्टि से उचित नही है। उनके द्वारा भी प्रस्तुत अपीलों में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित न कर तकनीकी आधार पर उनका निस्तारण किया गया है। निगरानीकत्री मृतक की स्वीकार्य रूप से पत्नी है, उसे नामान्तरण की कार्यवाही में भाग लेने का विधिक अधिकार है। कठोर तकनीकी एवं अवधारणाओं के आधार पर एक उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार प्रकरण में प्रतिभाग से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ के संदर्भ एवं निगरानियां स्वीकार कर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 24–01–1984 अपास्त कर कार्यवाही पुनर्स्थापित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत संदर्भ एवं विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार कर विद्वान परगनाधिकारी, रूड़की का आदेश दिनांक 27–11–1984 एवं विद्वान तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–01–1984 तथा 23–07–1983 अपास्त कर नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित की जाती है। प्रकरण पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर नामान्तरण प्रकरण निस्तारण हेतु विद्वान तहसीलदार, रूड़की को प्रति प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार, रूड़की पक्षकारों को दिनांक 06–03–2017 को उनके न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करेंगे एवं नामान्तरण

प्रकरण को समयबद्ध रूप से निस्तारित करेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **11–01–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)